



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 09 अक्टूबर, 2014 ई०

आश्विन 17, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 246/XXXVI(3)/2014/05(1)/2011

देहरादून, 09 अक्टूबर, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011" पर दिनांक 09 सितम्बर, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 24 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2011
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 वर्ष 2014)

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने के लिये-

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

धारा 2 में संशोधन 2. भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (जिसे यहाँ मूल अधिनियम कहा गया है), में -

(क) धारा 2 का खण्ड (2) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्-

“(2) “पुस्तक” के अन्तर्गत पुस्तक का प्रभाग आता है और किसी भी संख्या में ऐसे पन्ने भी आते हैं, जो इस दृष्टि से एक साथ संसक्त हो, कि उनसे पुस्तक या पुस्तक का प्रभाग बनाया जाय और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी पुस्तक भी आती है, जो इलैक्ट्रॉनिक रूप में हो;”

(ख) खण्ड (10) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे अर्थात्:-

“(10-क) “सत्य प्रति” में फोटो स्टेट सत्य प्रति सम्मिलित है;”

“(10-ख) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।”

धारा 3 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:-

“(3) अपने शासनाधीन क्षेत्र के लिए राज्य सरकार एक या अधिक रजिस्ट्रीकरण अपर महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण उष-महानिरीक्षक और रजिस्ट्रीकरण सहायक महानिरीक्षक नियुक्त कर सकती है और उनके कर्तव्यों को विहित कर सकती है तथा उनको महानिरीक्षक के किन्हीं या सभी शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उन्हें अधिकृत कर सकती है।”

धारा 8 का निरसन

4. मूल अधिनियम की धारा 8 निरसित कर दी जायेगी।

धारा 12 में संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 12 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:-

“12. जब कोई उप-रजिस्ट्रार अनुपस्थित हो या जब उसका पद अस्थायी रूप से रिक्त हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक इस प्रयोजन से, नियुक्त करे, ऐसी अनुपस्थिति के दौरान या जब तक रिक्त भर न दी जाये, उप-रजिस्ट्रार होगा।”

धारा 21 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:-

“(1) स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई भी निर्वसीयती दस्तावेज, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिगृहीत न की जाएगी, जब तक कि-

(क) उसमें ऐसी सम्पत्ति की पहचान के लिए पर्याप्त ऐसी सम्पत्ति का वर्णन अन्तर्विष्ट न हो; और

(ख) जहाँ सम्पत्ति कृषि भूमि हो, वहाँ उसके साथ मानचित्र या रेखांकन भी संलग्न हो, यह आवश्यक नहीं कि वह पैमाने पर हो, उसमें उस कृषि भूमि की दो सौ मीटर की त्रिज्या में स्थित समस्त सम्पत्तियाँ पूर्ण विवरण के साथ दर्शायी गई हों।”

धारा 32-क में संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 32-क में -

(1) उपधारा (1) में-

(एक) शब्द “ऐसे क्षेत्रों में, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाएं”, निकाल दिये जायेंगे;

(दो) शब्द “फोटोस्टेट”, शीर्षक सहित, जहाँ कहीं भी आए हों, निकाल दिये जायेंगे;

(2) उपधारा (2) में-

(एक) शब्द "फोटोस्टेट प्रति" के स्थान पर शब्द "सही प्रति" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) सही प्रति का मिलान और सत्यापन ऐसे पदधारी द्वारा किया जाएगा, जैसा रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा निर्देश दिया जायं।"

(3) उपधारा (3) निरसित कर दी जायेगी।

धारा 32-ख का
निरसन

8. मूल अधिनियम की धारा 32-ख निरसित कर दी जायेगी।

धारा 51 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (2), (3) तथा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्:-

"(2) पुस्तक 1 में धारा 17, 18 और 89 के अधीन रजिस्ट्रीकृत, वे सब दस्तावेज या ज्ञापन को, जो स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित है और विल नहीं हैं, सही प्रतियाँ फाइल की जायेंगी;

परन्तु यह कि जहाँ पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोरेज डिवाइस हो वहाँ, उपर्युक्त धाराओं के अधीन रजिस्ट्रीकृत, यथास्थिति, विलों से भिन्न सभी दस्तावेज, या उनकी सही प्रतियाँ या ज्ञापनों को उसमें स्कैन किया जाएगा और उसकी एक मुद्रित प्रति को पुस्तक 1 में स्थायी रूप से रखा जाएगा;

(3) पुस्तक 4 में, धारा 18 के खण्ड (घ) और (च) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उन सभी दस्तावेजों की सही प्रतियाँ फाइल की जायेंगी, जो स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित नहीं हैं;

परन्तु यह कि जहाँ पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, वहाँ उपर्युक्त खण्डों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, यथास्थिति, सभी दस्तावेज या उनकी सही प्रतियों को, उसमें स्कैन किया जायेगा और उसकी एक मुद्रित प्रति को पुस्तक 4 में स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(5) जहाँ अग्नि, झंझा, बाढ़, अतिवृष्टि, सेना या भीड़ के या अन्य अप्रतिरोधित बल-कृत हिंसा के कारण या अन्य, किसी कारण उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई या सभी पुस्तकें नष्ट हो जाये, पूर्ण या अंशतः अपठनीय हो जाये और राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह, आदेश द्वारा निर्देश

सकेगी कि ऐसी पुस्तक या उसके ऐसे प्रभाग को, जिसे वह उचित समझे, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाये, उसे अभि-प्रमाणित या पुनः सनिर्मित किया जाये और इस प्रकार तैयार की गई अधिप्रमाणित या पुनःसनिर्मित प्रतिलिपि को इस अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रयोजनों के लिये मूल पुस्तक या प्रभाग या स्थानापत्र और स्वयं ऐसी मूल पुस्तक या प्रमाण समझा जायेगा।”

धारा 52 में संशोधन

10.

मूल अधिनियम की धारा 52 में—

(1) उपधारा (1) में—

(एक) खण्ड (क) में शब्द “ऐसी हर दस्तावेज पर उसके उपस्थापित किये जाने के समय” के स्थान पर शब्द “ऐसी हर दस्तावेज और उसकी सही प्रति पर उसके उपस्थापित किये जाने के समय” रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

“(ख) ऐसी दस्तावेज के लिए रसीद, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर उसे उपस्थापित करने वाले व्यक्ति को देगा।”

(2) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

धारा 53 में परन्तुक का अन्तःस्थापन

11.

मूल अधिनियम की धारा 53 में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह कि जहाँ पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, वहाँ उस पुस्तक और हस्त्य अनुरक्षित पुस्तक की सभी प्रविष्टियाँ और संख्याएं एक समान होंगी।”

धारा 54 में संशोधन

12.

मूल अधिनियम की धारा 54 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:—

“54. हर कार्यालय में, जिसमें एतस्मिन्पूर्व वर्णित पुस्तकों में से कोई भी रखी जाती है, ऐसी पुस्तकों की अन्तर्वस्तुओं की चालू अनुकमणिका तैयार की जायेगी और ऐसी अनुकमणिकाओं में हर प्रविष्टि यावत्साध्य रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के उस दस्तावेज की, जिससे वह प्रविष्टि सम्बन्धित है, स्कैन कर लेने या सही प्रति या ज्ञापन फाइल कर लेने के अव्यवहित पश्चात् की जायेगी।”

धारा 55 में
अन्तःस्थापन

13.

मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:-

“(7) जहाँ पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, वहाँ इस धारा के अधीन बनाई गई अनुक्रमणिकाएँ भी धारा 69 के अधीन नियमों द्वारा विहित रीति से इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर की जाएंगी।”

धारा 57 में संशोधन

14.

मूल अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्:-

“(1) इस निमित्त संदेय फीसों का पूर्व संदाय किये जाने की शर्त के अधीन रहते हुए पुस्तक संख्यांक 1 और 2 और पुस्तक संख्यांक 1 से सम्बन्धित अनुक्रमणिकाएँ, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में न हों, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा सब समयों पर निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी, जो उनका निरीक्षण करने के लिए आवेदन करें और धारा 62 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी पुस्तकों में की प्रविष्टियों की प्रतियाँ, ऐसी प्रतियों के लिए आवेदन करने वाले सब व्यक्तियों को दी जायेंगी।”

धारा 58 में संशोधन

15.

मूल अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्:-

“(1) रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत हर दस्तावेज और उसकी सही प्रति पर, जो डिक्री या आदेश की प्रति से भिन्न है या रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को धारा 89 के अधीन भेजी गयी प्रति न हो, निम्नलिखित विशिष्टियों समय-समय पर पृष्ठांकित की जायेगी; अर्थात्-

(क) दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकृत करने वाले हर व्यक्ति के हस्ताक्षर और अभिवर्णन और यदि ऐसा निष्पादन किसी व्यक्ति के प्रतिनिधि, समनुदेशिती या अभिकर्ता द्वारा स्वीकृत किया गया है तो ऐसे प्रतिनिधि, समनुदेशिती या अभिकर्ता के हस्ताक्षर और अभिवर्णन;

(ख) ऐसी दस्तावेज के प्रति निर्देश से इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध के अधीन परीक्षित हर व्यक्ति के हस्ताक्षर और अभिवर्णन; तथा

(ग) दस्तावेज के निष्पादन के प्रति निर्देश से रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर की उपस्थिति में दिए गए धन का कोई भी संदाय या वस्तुओं का कोई भी परिदान और ऐसे निष्पादन के प्रति निर्देश से उसकी उपस्थिति में सम्पूर्ण प्रतिफल या उसके भाग की प्राप्ति की कोई स्वीकृति।”

धारा 60 में संशोधन 16. मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्:-

“(1) धारा 34, 35, 58 और 59 के उपबन्धों में से उन उपबन्धों का, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की गयी किसी दस्तावेज को लागू है, अनुपालन हो जाने के पश्चात् रजिस्टर रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर ऐसा प्रमाण-पत्र, जिसमें रजिस्ट्रीकृत शब्द अन्तर्विष्ट हो, उस उपयुक्त पुस्तक के संख्यांक और पृष्ठ के सन्दर्भ के साथ, जिसमें उस दस्तावेज या उसकी सही प्रति को स्कैन किया जाना या रखा जाना है, उस पर और उसकी सही प्रतियों पर पृष्ठांकित करेगा।”

धारा 61 में संशोधन 17. मूल अधिनियम की धारा 61 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्:-

“61. (1) धारा 52, 58, 59 और 60 के उपबन्धों के अनुपालन के पश्चात् धारा 62 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 21 में उल्लिखित मानचित्र या रेखांक, यदि कोई हो, के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत प्रत्येक दस्तावेज का बिना अनावश्यक विलम्ब के स्कैन किया जायेगा और उसके प्रिंट-आउट को रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज के लिए उपयुक्त पुस्तक में, उसके प्रतिगृहण के क्रम के अनुसार स्थायी रूप से रखा जायेगा;

परन्तु यह कि जहाँ पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में न हो या दस्तावेज का उसी दिन स्कैन किया जाना सम्भव न हो, वहाँ धारा 21 में उल्लिखित, मानचित्र या रेखांक, यदि कोई हो, के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज की सही प्रति को शीघ्रतम अवसर पर स्कैन किये जाने के लिए उपर्युक्त रीति में दस्तावेज के लिए उपयुक्त पुस्तक में रखा जायेगा और उसके प्रिंट-आउट से उसे स्थायी रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा;

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ के पूर्व फाइल की गई सही प्रति, जो उसके लिए उपयुक्त पुस्तक में नकल नहीं की गई है, को धारा 32-क के अधीन प्रस्तुत सही प्रति समझा जायेगा और उसे इस धारा के उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत किया जायेगा;

परन्तु यह और भी कि यदि रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ के पूर्व फाइल की गई सही प्रति अस्पष्ट या अन्यथा अपठनीय हो और उसके लिए उपयुक्त पुस्तक में नकल न की गई हो

तो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर, रजिस्ट्रार के पूर्वानुमोदन से, सम्बन्धित पक्ष से यह अपेक्षा करेगा कि वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए उसकी सही प्रति तैयार कराने के लिए दस्तावेज उसे दे दें और यदि सम्बन्धित पक्ष उसको यह सूचित करता है कि दस्तावेज खो गया है या नष्ट हो गया है तो रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपलब्ध सही प्रति को, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत किया जायेगा।

(2) दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण, इसके पश्चात्, पूर्ण हुआ माना जायेगा और दस्तावेज उस व्यक्ति को, जिसने उसे रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया था, या ऐसे अन्य व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसे उसने लिखित रूप में इस निमित्त नामित किया हो, धारा 52 में उल्लिखित रसीद प्राप्त करके लौटा दिया जायेगा।

(3) ऐसी सभी पुस्तकों को ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति से जैसा कि समय-समय पर महानिरीक्षक द्वारा विहित किया जाये, अधिप्रमाणीकृत किया जायेगा।”

धारा 62 में
प्रतिस्थापन

18.

मूल अधिनियम की धारा 62 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:-

“62. जब कोई दस्तावेज धारा 19 के अधीन प्रस्तुत किया जाता है तो मूल दस्तावेज को धारा 52, 58, 59, 60 और 61 के उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत किया जाएगा, और उसके अनुवाद को भी मूल दस्तावेज के साथ-साथ स्कैन किया जायेगा और उसके प्रिंट-आऊट को मूल दस्तावेज के प्रिंट-आऊट के साथ रखा जाएगा और यदि पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में नहीं है या स्कैन उसी दिन किया जाना सम्भव नहीं है, तो धारा 61 की उपधारा (1) के अनुसार अनुवाद की सही प्रति को दस्तावेज की सही प्रति के साथ रखा जायेगा और धारा 57, 64, 65 और 66 द्वारा अपेक्षित प्रतियाँ और ज्ञापन बनाने के प्रयोजनों के लिए उसे मूल प्रति माना जायेगा।”

धारा 64 में संशोधन

19.

मूल अधिनियम की धारा 64 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:-

“64. हर उपरजिस्ट्रार ऐसी स्थावर सम्पत्ति से, जो पूर्णतः उसके अपने उपजिले में स्थित नहीं है, सम्बन्धित निर्वसीयती दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण पर उसका और उस पर के पृष्ठांकन और प्रमाणपत्र का

(यदि कोई हो) ज्ञापन तैयार करेगा और जिस रजिस्ट्रार के वह स्वयं अधीनस्थ है, उसके अधीनस्थ हर अन्य उस उपरजिस्ट्रार को भेजेगा, जिसके उपजिले में ऐसी सम्पत्ति का कोई भाग स्थित है और ऐसा उपरजिस्ट्रार ऐसे ज्ञापन पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है।”

धारा 65 में संशोधन

20.

मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:-

“(2) रजिस्ट्रार उसकी प्राप्ति पर ऐसे दस्तावेज की प्रति और मानचित्र या रेखांक, यदि कोई हो, की प्रति पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है और दस्तावेज का ज्ञापन अपने अधीनस्थ उन उपरजिस्ट्रारों में से हर एक को अग्रेषित करेगा, जिसके उपजिलों में ऐसी सम्पत्ति का कोई भी भाग स्थित है और हर उपरजिस्ट्रार, जिसे ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उसे उस पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा इस धारा के अधीन की जाती है।”

धारा 66 में संशोधन

21.

मूल अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (3) तथा उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएँ प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:-

“(3) ऐसा रजिस्ट्रार, ऐसी कोई भी प्रति प्राप्त होने पर, उस पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है और प्रति का ज्ञापन भी अपने अधीनस्थ उन उपरजिस्ट्रारों में से हर एक को भेजेगा, जिनके उपजिले में सम्पत्ति का कोई भी भाग स्थित है।”

“(4) ऐसा हर उपरजिस्ट्रार, जिसे इस धारा के अधीन कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उस पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा इस धारा के अधीन प्राप्त प्रति पर की जाती है।”

धारा 69 का
अन्तःस्थापन

22. (1)

मूल अधिनियम की धारा 69 में, खण्ड (जज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिये जाएंगे; अर्थात्:-

“(जज-1) संख्या और रीति, जिसमें दस्तावेजों के और अनुवाद की प्रिंट-आऊट या सही प्रतियाँ तैयार की जाएंगी और पुस्तकें, जिनमें उन्हें अभिलेख के लिए रखा जाएगा, को विनियमित करने वाले;

(जज-2) घोषणा के प्रपत्र और सही प्रतियों के मिलान और सत्यापन की रीति को विनियमित करने वाले;

(जज-3) रीति, जिसमें और रक्षोपीय, जिसके अधीन रहते हुए पुस्तकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा, को विनियमित करने वाले।”

(2) मूल अधिनियम की धारा 69 के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्:-

“69-क इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, जनसाधारण के मार्गदर्शन के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के मानक के प्ररूपों को तैयार करेगा और उन्हें परिचालित करेगा, जिनका संशोधन के साथ या बिना संशोधन के प्रयोग किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के अधीन तैयार और परिचालित किये गए मानक प्ररूप का प्रयोग, धारा 21 और 22 के अधीन अपेक्षित सम्पत्ति के विवरणों को छोड़े जाने का आधार नहीं होगा।”

धारा 78-ख का
अन्तःस्थापन

23.

मूल अधिनियम की धारा 78-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्:-

“78-ख-(1) किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस आसंजक लेबलों के रूप में प्रभारित की जा सकेगी, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, उन व्यक्तियों, जिनके द्वारा ऐसा विक्रय अकेले किया जाना है, को उसकी आपूर्ति और विक्रय, और ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य और पारिश्रमिक और उनके प्रभार्य फीस को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) जिला रजिस्ट्रार, किसी व्यक्ति के आवेदन पर किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए खरीदे गये खराब, गलती से प्रयोग किये गये या अप्रयुक्त आसंजक लेबलों के लिए, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार छूट दे सकेगा।”

धारा 89 में संशोधन

24.

मूल अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (1), (2), (3) और (4) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:-

“(1) भूमि अभिवृद्धि उधार अधिनियम, 1883 (1883 का 19) के अधीन उधार अनुदत्त करने वाला हर ऑफिसर अपने आदेश की प्रति उस रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर अभिवृद्धि की जाने वाली पूरी भूमि या उसका कोई

भाग या सांपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अनुदत्त की जाने वाली भूमि स्थित है और ऐसा रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर उस पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन स्थावर सम्पत्ति के विक्रय का प्रमाणपत्र अनुदत्त करने वाला हर न्यायालय ऐसे प्रमाण पत्र की प्रति उस रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर ऐसे प्रमाणपत्र में समाविष्ट पूरी स्थावर सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित है और ऐसा ऑफिसर उस प्रति पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है।

(3) कृषक उधार अधिनियम, 1884 (1884 का 12) के अधीन उधार अनुदत्त करने वाला हर ऑफिसर किसी भी ऐसी लिखत की प्रति, जिसके द्वारा स्थावर सम्पत्ति उधार के प्रति संदाय की प्रतिभूति करने के लिए बंधक की गई है और ऐसी कोई सम्पत्ति उधार अनुदत्त करने वाले आदेश में उसी प्रयोजन के लिए बन्धक की गई है तो उस आदेश की प्रति भी उस रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर वह पूरी सम्पत्ति, जिसका बन्धक किया गया है या उसका कोई भाग स्थित है और ऐसा रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर, उस पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है।

(4) लोक नीलाम द्वारा बेची गई स्थावर सम्पत्ति के क्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र अनुदत्त करने वाला हर राजस्व ऑफिसर प्रमाण पत्र की प्रति उस रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रमाण पत्र में समाविष्ट पूरी सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित है और ऐसा ऑफिसर उस प्रति पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 246/XXXVI(3)/2014/05(1)/2011

Dated Dehradun, October 09, 2014NOTIFICATIONMiscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the President is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Indian Registration (Uttarakhand Amendment) Act, 2011' (Adhiniyam Sankhya 24 of 2014).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the President on 09 September, 2014.

The Indian Registration (Uttarakhand Amendment) Act, 2011

(Uttarakhand Act No. 24 of 2014)

An

Act

further to amend the Indian Registration Act, 1908 to the context in the State of Uttarakhand

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the sixty-second year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement 1. (1) This Act may be called the Indian Registration (Uttarakhand Amendment) Act, 2011.

(2) It extends to the whole of Uttarakhand.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf.

Amendment of section 2

2. In the Registration Act, 1908 (hereinafter referred to as the Principal Act),

(a) Clause (2) of section 2 shall be substituted as follows; namely:-

- “(2) ‘book’ includes a portion of a book and also any number of sheets connected together with a view to forming a book, or portion of a book and also includes a book in electronic form;”
- (b) after clause (10), the following clauses shall be inserted, namely:-
- “(10-A) ‘true copy’ includes a true Photostat copy;
- (10-B) the words and expressions used herein and not defined but defined in the Information Technology Act, 2000 shall have the meaning respectively assigned to them in that Act.”
- Amendment of section 3** 3. Sub-section (3) of section 3 of the Principal Act, shall be substituted as follows; namely :-
- “(3) The State Government may appoint one or more Additional Inspector General of Registration, Deputy Inspectors General of Registration and Assistant Inspector General of Registration for the territories subject to such Government and may prescribe the duties of such officers and authorize them to exercise and perform all or any of the powers and duties of the Inspector General of Registration.”
- Repealed of Section 8** 4. Section 8 of the Principal Act shall be repealed.
- Amendment of Section 12** 5. Section 12 of the Principal Act, shall be substituted as follows; namely:-
- “12. When any Sub-Registrar is absent, or when his office is temporarily vacant, any person, whom the Inspector-General of Registration appoints in this behalf, shall be Sub-Registrar during such absence or until the vacancy is filled up.”
- Amendment of section 21** 6. In placed of sub-section (1) of section 21 of the Principal Act, shall be substituted as follows; namely:-
- “(1) No non-testamentary document relating to immovable property shall be accepted for registration unless,-
- (a) it contains a description of such property sufficient to identify the same; and

(b) It is accompanied also, where the property is agricultural land, by a map or plan, not necessarily on scale, showing all properties with full description in the radius of two hundred meters of that agricultural land."

Amendment of section 32-A,

7. In section 32-A of the Principal Act -

(1) in sub-section (1)-

(i) the words, "in such areas as may be notified by the State Government," shall be omitted;

(ii) the word "photostat" wherever occurring including heading, shall be omitted;

(2) in sub-section (2)-

(i) for the words "photostat copy" the words "true copy" shall be substituted;

(ii) for clauses (b) and (c), the following clause shall be inserted, namely:-

"(b) be compared and verified by such official as may be directed by the Registering Officer."

(3) Sub-section (3) shall be *omitted*.

Repealed at Section 32-B

8. Section 32-B of the Principal Act shall be repealed.

Amendment of section 51

9. In placed of sub-sections (2), (3) and (5) of section 51 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted as follows; namely:-

"(2) In Book 1, shall be filed true copies of all documents or memoranda registered under sections 17, 18 and 89 which relate to immovable property, and are not wills;

Provided that where Book is in electronic form, all documents, other than wills, registered under aforesaid sections or true copies thereof, as the case may be, or memoranda shall be scanned in it and a printout, thereof shall be kept permanently in Book 1,

(3) In Book 4, shall be filed true copies of all documents registered under clauses (d) and (f) of section 18 which do not relate to immovable property;

Provided that where Book is in electronic form, all documents registered under the aforesaid clauses or their true copies, as the case may be, shall be scanned in it and a printout thereof shall be kept permanently in Book 4.

(5) Where due to fire, tempest, flood, excessive rainfall, violence of any army or mob, or other irresistible force and for any other reason or all of the books specified in sub-section (1) are destroyed, or become illegible either wholly or partially, and the State Government is of the opinion that it is necessary, or expedient so to do it may, by order, direct such book or such portion thereof, as it thinks fit, to be re-copied, authenticated, or reconstructed in such manner as may be prescribed, and the copy so prepared, authenticated or reconstructed, shall for the purposes of this Act, and of the Indian Evidence Act, 1872, be deemed to have taken the place of, and to be the original book or portion."

**Amendment of
Section 52**

10.

In sub-section (1) of section 52 of the Principal Act -

(1) in sub-section (1) -

(i) in clause (a), for the words, "every such documents at the time of presenting it", the words, "every such documents and true copy thereof at the time of presenting it; and" shall be substituted;

(ii) for clauses (b) and (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) a receipt for such document shall be given by the registering officer to the person presenting the same."

(2) sub-section (2) shall be *omitted*.

**Insertion of proviso
to section 53**

11.

In section 53 of the Principal Act, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where Book is in electronic form, all entries and numbers in that Book and the Book maintained manually shall be identical."

- Amendment of Section 54** 12. Section 54 of the Principal Act, shall be substituted as follows; namely :-
- “54. In every office in which any of the books hereinbefore mentioned are kept, there shall be prepared current indexes of the contents of such books and every entry in such indexes shall be made, so far as practicable, immediately after the registering officer has scanned or filed a true copy or a memorandum of, the document to which it relate.”
- Insertion in section 55** 13. After sub-section (6) of section 55 of the Principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely:-
- “(7) Where Book is in electronic form, the indexes made under this section shall also be stored in electronic form in the manner prescribed by rules under section 69.”
- Amendment of Section 57** 14. In place of sub-section (1) of section 57 of the Principal Act, shall be substituted as follows; namely :-
- “(1) Subject to the previous payment of fees payable in that behalf, books 1 and 2 and indexes relating to Book I other than those in electronic Form shall be, at all times, open to inspection by any person applying to inspect the same and subject to the provisions of section 62, copies of entries in such books shall be given to all persons applying for such copies.”
- Amendment of Section 58** 15. In place of sub-section (1) of section 58 of the Principal Act, shall be substituted as follows; namely :-
- “(1) On every document admitted to registration and true copy there of other than a copy of a decree or order or a copy sent to a registering officer under section 89, there shall be endorsed from time to time, the following particulars, namely :-
- (a) the signature and addition of every person admitting the execution of the document and if such execution has been admitted by the representative, assign or agent of any person, the signature and addition of such representative, assign or agent;

- (b) the signature and addition of every person examined in reference to such document, under any of the provisions of the Act; and
- (c) any payment of money or delivery of goods made in the presence of the registering officer, in reference to the execution of the document and any admission of receipt of consideration, in whole or in part, made in his presence in reference to such execution."

Amendment of section 60

16. In place of sub-section (1) of section 60 of the Principal Act, shall be substituted as follows; namely :-

"(1) After such of the provision of sections 34, 35, 58 and 59, as apply to any document, presented for registration, have been complied with, the registering officer shall endorse thereon a certificate containing the word 'registered' together with the number and pages of the books in which the laminated true copy thereof has been bound and kept."

Amendment of Section 61

17. In place of section 61 of the Principal Act, shall be substituted as follows; namely :-

"61. (1) Subject to the provisions of section 62, after the provisions of sections 52, 58, 59 and 60 are complied with, every document admitted to registration along with the map or plan, if any, mentioned in section 21, shall without unnecessary delay be scanned and a printout thereof shall be kept permanently in the Book appropriate for the document admitted to registration, according to the order of its admission;

Provided that, where, Book is not in electronic form or scanning of the document is not possible on the same day, the true copy of the document admitted to registration along with the copy of the map or plan, if any, mentioned in section 21 shall be kept in the Book appropriate for the document in the manner aforesaid for being scanned at the earliest opportunity and replaced permanently by a printout thereof;

Provided further that a true copy filed before the commencement of the Registration (Uttarakhand Amendment) Act, 2010 and not copied in the Book appropriate therefor, shall be deemed to be a true copy presented under section 32-A and shall be dealt with in accordance with the provisions of this section;

Provided also that if the true copy filed before the commencement of the Registration (Uttarakhand Amendment) Act, 2010 is dim or has otherwise become illegible and has not been copied in the Book appropriate therefor, the registering officer shall, with the prior approval of the Registrar, require the party concerned to deliver the document to him for getting its true copy prepared for the purposes of this section and if the party concerned informs him that the document has been lost or destroyed, the true copy available in the registering office shall be dealt with in accordance with the provisions of this section.

(2) The registration of the document shall, thereupon, be deemed complete and the document shall then be returned to the person who presented the same for registration, or to such other person, if any, as he has nominated in writing in that behalf on the receipt mentioned in section 52.

(3) All such Books shall be authenticated at such intervals and in such manner as is from time to time prescribed by the Inspector-General."

Substitution of section 62

18. In place of section 62 of the Principal Act, shall be substituted as follows; namely :-

"62. When a document is presented for registration under section 19, the original document shall be dealt with in accordance with the provisions of sections 52, 58, 59, 60 and 61 and the translation shall also be scanned along with the original document and its printout kept along with the printout of the original document, and if Book is not in electronic form or the scanning is not possible on the same day, the true copy of the translation shall be kept along with the true copy of the

document in accordance with sub-section (1) of section 61, and for the purposes of making the copies and memoranda required by sections 57, 64, 65 and 66, it shall be treated as if it were the original."

**Amendment of
Section 64**

19.

In place of section 64 of the Principal Act, shall be substituted as follows; namely :-

"64. Every sub-registrar, on registering an non-testamentary document relating to immoveable property not wholly situate in his own sub-district, shall make a memorandum thereof and of the endorsements and certificate (if any) thereon and send the same to every other sub-registrar, subordinate to the same Registrar, as himself, in whose sub-district any part of such property is situate and Sub-Registrar shall take similar action on this memorandum, as known (sic taken) on a document admitted to registration under sub-section (1) of Section 61."

**Amendment of
Section 65**

20.

In place of sub-section (2) of section 65 of the Principal Act, shall be substituted as follows; namely :-

"(2) The Registrar, on receiving the same shall take a similar action on such copy of the document and the copy of the map or plan, if any, as taken on a document admitted to registration under sub-section (1) of section 61 and shall forward a memorandum of the document to each of the sub-registrars subordinate to him, within those sub-district any part of such property is situate and every sub-registrar, receiving such memorandum, shall take a similar action on it as taken by the Registrar under this section."

**Amendment of
Section 66**

21.

In place of sub-section (3) and sub-section (4) of section 66 of the Principal Act shall be substituted as follows; namely:-

"(3) Such Registrar, on receiving any such copy, shall take a similar action on it as taken on a document admitted to registration under sub-section (1) of section 61 and shall also send a memorandum of the copy to each of the sub-registrars subordinate to him, within whose sub-district any part of the property is situate."

“(4) Every sub-registrar receiving any memorandum under this section shall take a similar action on it as taken on a copy received under sub-section (3).”

Insertion of section 69

22. (1) In section 69 of the Principal Act, after clause (hh), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(hh-1) regulating the number and manner in which printouts or true copies of documents and of translation shall be prepared and the Books in which they shall be kept for record;

“(hh-2) regulating the form of declaration and the manner of comparison and verification of the true copies;

“(hh-3) regulating the manner in which and safeguards subject to which the Books may be kept in electronic form.”

(2) After section 69 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

“69-A Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, the Inspector-General of Registration shall with the prior approval of the State Government, prepare and circulate standard formats of various kinds of documents for the guidance of the general public, which may be used with or without modifications.

Explanation:- Use of a standard format prepared and circulated under this section shall not be a prelude to omit the descriptions of the property required under sections 21 and 22.”

Insertion of section 78-B

23. After section 78-A of the Principal Act, the following section shall be inserted; namely:-

“78-B (1) The fee for the registration of a document may be charged in the form of adhesive labels for which the Inspector-General of Registration may, with the prior approval of the State Government, make rules to regulate supply and sale thereof, the persons by whom alone such sale is to be conducted and the duties and remuneration of and the fees chargeable from such persons.

- (2) The District Registrar may, on an application of a person, make allowance for the spoiled, misused or unused adhesive labels purchased for the registration of a document in accordance with the rules made by the Inspector-General of Registration with the prior approval of the State Government.”

**Amendment of
Section 89**

24. Sub-section (1), (2), (3) and (4) of section 89 of the Principal Act shall be substituted as follows; namely :-

- “(1) Every officer granting a loan under the Land Improvement Loans Act, 1883 (XIX of 1883) shall send a copy of his order to the registering officer within the local limits of whose jurisdiction the whole, or any part of the land to be improved, or the land to be granted as collateral security, is situate, and such registering officer shall take a similar action on it as taken on a document admitted to registration under sub-section (1) of section 61.
- (2) Every Court granting a certificate of sale of immoveable property under the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908), shall send a copy of such certificate to the registering officer within the local limits of whose jurisdiction the whole or any part of the immoveable property, comprised in such certificate, is situate and such officer shall take a similar action on it as taken on a document admitted to registration under sub-section (1) of section 61.
- (3) Every officer granting a loan under the Agriculturists Loans Act, 1884 (XII of 1884) shall send a copy of any instrument whereby immoveable property is mortgaged for the purpose of securing the repayment of the loan and if any such property is mortgaged for the same purpose, in the order granting the loan, a copy, also of the order, to the registering officer within the local limits of whose jurisdiction, the whole or any part of the property mortgaged is situate and such registering officer shall take a similar action on it as taken on a document admitted to registration under sub-section (1) of section 61.

(4) Every Revenue Officer granting a certificate of sale to the purchase of immoveable property, sold by public auction, shall send a copy of the certificate to the registering officer, within the local limits of whose jurisdiction, the whole or any part of the property comprised in the certificate is situate and such officer shall take a similar action on it as taken on a document admitted to registration under sub-section (1) of section 61."

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.